

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद आगरा में ग्रीन गैस लिमिटेड, आगरा द्वारा आगरा-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-02 के कि०मी० 206.757 से 213.960 के मध्य (महावीर ढाबा से भगवान फिलिंग स्टेशन) मार्ग की बाईं पटरी के किनारे गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.584 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

Proposal No. -31584/2018

14.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।	सहमत
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत प्रकरणों के साथ विशेष सिफारिशें -	प्रस्ताव जनहित में है। अतः भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक :

स्थान : आगरा।


(जावेद अख्तर) 23/11/18.
वन संरक्षक, वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।
आगरा वृत्त, आगरा।